मध्य प्रदेश वन विभाग

(सूचना प्रौद्योगिकी शाखा)

आमजन **"सी.एस.आर.,सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वनों की पुनर्स्थापना की नीति"** विषय पर अपनी प्रतिक्रिया हेतु निम्नानुसार मेल आईडी. पर मेल कर सकते हैं – apccfit@mp.gov.in

परिशिष्ट-3

सी.एस.आर., सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वनों की पुर्नस्थापना की नीति

प्रस्तावना

प्रदेश में बिगड़े वनों का क्षेत्र काफी बड़ा है। वर्तमान में राज्य में वन क्षेत्र लगभग 95 लाख हेक्टेयर है जिसमें बिगड़े वनों का क्षेत्रफल लगभग 37 लाख हेक्टेयर है। पारिस्थितिकीय सेवाओं के सतत् संचालन एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों को पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता है। इस हेतु बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है और इस कारण संसाधन जुटाने के वैकल्पिक प्रयास जरूरी है। विभिन्न कम्पनियों/औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility CSR) के अंतर्गत लोक कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण आदि गतिविधियॉ की जा सकती है। नवीन स्थापना तथा विस्तारित की जा रही औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का अल्पीकरण (Mitigation) हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility-CER) निधि से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी निवेशक भी हो सकते हैं जो वनोपज के लिये निवेश कर सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/ नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसे निवेश सभी पक्षों के लिये लाभदायक है जिसमें निवेशक को वनोपज में हिस्सेदारी मिले, स्थानीय समुदाय को वनोपज का हिस्सा मिले और स्थायी वनीकरण के जरिये पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिले।

राज्य शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु जारी संकल्प में संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जिसे आगे वन समिति कहा गया है) को आवंटित वन क्षेत्र के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 10 वर्षीय सूक्ष्म प्रबंध योजना (Micro plan) वनमंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है, जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु सी.एस.आर. एवं सी.ई.आर. या अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती है।

वनमंडल स्तर पर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत "वन विकास अभिकरण" का गठन किया गया है। वन विकास अभिकरण के माध्यम से वनों की पुर्नस्थापना हेतु अशासकीय स्रोतों से निधियां प्राप्त की जा सकती हैं। राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरणों के साथ समन्वय करके वन विकास की गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त करना है। इसके अतिरिक्त वनों से व्यावसायिक प्रबंधन हेतु म.प्र.राज्य वन विकास निगम (जिसे आगे निगम कहा गया है) की स्थापना की गई है जो वनों में स्थित प्रमुख प्रजातियों के जीवनवृत्त को ध्यान में रखते हुए वनों का विकास करता है और वैज्ञानिक तरीके से उनका दोहन कर राज्य सरकार और समुदाय के लिये संसाधन जुटाने का कार्य करता है।

अधिसूचित वन क्षेत्रों में 0.4 से कम घनत्व वाले बिगड़े वनों को पुर्नस्थापित करने हेतु सी.एस.आर., सी.ई.आर., निजी निवेश एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से पूर्व में जारी नीति को अधिक्रमित करते हुए यह

नीति जारी की जा रही है। इस नीति के दो भाग हैं। प्रथम भाग सी.एस.आर./सी.ई.आर. की निधियों से तथा द्वितीय भाग में निजी निवेशकों की निधियों से वनों के पुर्नस्थापन का कार्य लिया जाना है।

भाग-1

सी.एस.आर/सी.ई.आर.निधियों के उपयोग से वनों की पुर्नस्थापना

1/ वनों की पुर्नस्थापना का प्रस्ताव

1.1. सी.एस.आर., सी.ई.आर. निधियों से वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना में भूमिका अदा करने का इच्छुक औद्योगिक समूह/निगमित निकाय, व्यक्तियों एवं स्वयंसेवी संस्था वनमंडल या राज्य स्तर पर वन विकास अभिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

1.2. निकाय/संस्थाएं/व्यक्ति अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्थल या क्षेत्र का चयन कर सकेंगे। प्रस्ताव के साथ निगमित निकाय या संस्था के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित लेखा भी संलग्न करेंगे।

1.3. राज्य वन विकास अभिकरण को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को भी आवेदक की रुचि के अनुसार चयनित वनमंडल के वन विकास अभिकरण को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

2/ क्षेत्र चयन

2.1 वन भूमि पर किये जाने वाले पुर्नस्थापना कार्य हेतु न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जायेगा। जिला स्तर पर ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र उपलब्ध है को क्लब (संविलियन) कर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में पुर्नस्थापना का कार्य किया जाएगा। खनन क्षेत्र पर जहां रोपण योग्य स्थिति न हो वहां आस-पास स्थित उपयुक्त क्षेत्रफल में पुर्नस्थापना का कार्य किया जाएगा। पुर्नस्थापना हेतु वन क्षेत्र की स्थिति एवं उपचार के संबंध में वनमंडलाधिकारी प्रस्तावक संस्था को अपने अभिमत से अवगत करायेंगे।

2.2 वन क्षेत्र के पुर्नस्थापना में रुचि प्रकट करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वनमंडल अधिकारी द्वारा वन समिति की सहमति प्राप्त करने के लिए आमसभा का आयोजन कराया जाएगा। आमसभा में सदस्यों को पुर्नस्थापना कार्यक्रम/योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारियॉ साझा की जाएगी। वन समिति की आम सभा का अनुमोदन प्राप्त होने पर समिति को आवंटित वन क्षेत्र के पुर्नस्थापना हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

2.3. वनमंडल अधिकारी द्वारा वन क्षेत्र का एक डिजिटल मानचित्र तैयार कराया जाएगा, जिसमें वन की वर्तमान स्थिति तथा पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावित उपचार कार्यों को अंकित किया जाएगा।

3/ त्रिपक्षीय अनुबंध

वनों की पुर्नस्थापना हेतु निधि प्रदाता, वन समिति एवं वन विकास अभिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा जिसमें तीनों पक्षों की भूमिकाओं एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा।

अनुबंध के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार होंगे :-

3.1 इस कार्य से संबंधित भविष्य में नई अधिसूचना या नीतिगत परिवर्तन अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

3.2 निधि प्रदाता को आगामी 60 वर्ष के लिए कार्बन क्रेडिट पर अधिकार होगा।

3.3 वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े।

3.4 पुर्नस्थापना की परियोजना में वन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। पौधरोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा।

3.5 त्रिपक्षीय अनुबंध के बाद 1 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा तथा 2 वर्ष के अंदर पुर्नस्थापना/ पौधरोपण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

3.6 पुर्नस्थापना कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया से किया जाएगा जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेंगे।

3.7 निधि प्रदाता द्वारा कार्बन क्रेडिट सत्यापन, अंकेक्षण (ऑडिटिंग), प्रमाणन आदि के प्रबंध पर व्यय वहन किया जाएगा। वन विभाग द्वारा कार्बन क्रेडिट जारी करने, अग्रेषित करने, व्यापार आदि के सभी अधिकार निधि प्रदाता को दिए जावेंगे। वन समिति इस समस्त प्रक्रिया में सहयोग करेगी, फलस्वरूप वन समितियों को 10 प्रतिशत कार्बन क्रेडिट का अधिकार होगा।

3.8 निधि प्रदाता द्वारा मध्य प्रदेश में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 का अनुपालन किया जावेगा। इससे संबंधित सभी व्यय निधि प्रदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

3.9 प्रश्नाधीन क्षेत्र में उत्पादित वनोपज का यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो उस पर खरीदने का प्रथम अधिकार निधि प्रदायक संस्था को रहेगा। परंतु यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं हैं तो तत्समय विक्रय हेतु प्राप्त उच्चतम दर पर "अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार" निधि प्रदाता का रहेगा।

4/ सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण एवं स्वीकृति

4.1 वनमंडल अधिकारी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप एवं स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वन समिति के सहयोग से वन क्षेत्र के उपचार हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कराएगा। वन समिति की आम सभा द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात वनमंडल अधिकारी सूक्ष्म प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करेगा।

4.2 सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में वन क्षेत्र के उपचार हेतु निधियां प्रदाता के प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे।

4.3 ऐसी वन समिति जिसका सूक्ष्म प्रबंधन योजना वनमंडल अधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, उसे भी इन निर्देशों के अंतर्गत पुर्नस्थापना के लिए मान्य किया जा सकेगा।

4.4 वन क्षेत्र में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, एवं सुसंगत वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

4.5 पौधरोपण के लिए प्रजातियों का चयन सभी पक्षों द्वारा कार्य योजना के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये विचार-विमर्श उपरांत किया जाएगा।

5/ चयनित क्षेत्र का प्राक्कलन तैयार करना

सूक्ष्म प्रबंधन योजना में शामिल किए गए वनक्षेत्र के उपचारों के क्रियान्वयन के लिए की जाने वाली गतिविधियों का प्राक्कलन वन मंडलाधिकारी के सहयोग से कार्य सम्पादन करने वाली संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा तथा तीनों पक्षों की सहमति से स्वीकृत किया जाएगा।

6/ कार्य संपादन

6.1. कार्य संपादन वन समिति द्वारा किया जाएगा। वन विकास अभिकरण के सदस्य सचिव, निधि प्रदाता एवं वन समिति के मध्य अनुबंध के अनुसार उपचार की राशि वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रीति से हस्तांतरित की जाएगी। वन विकास अभिकरण द्वारा कार्य संम्पादन हेतु राशि वन समिति के विकास खाते में जमा कराई जायेगी। संस्था यदि चाहे तो वन विकास अभिकरण को सूचना देते हुये सीधे राशि वन समिति के विकास खाते में अंतरित कर सकेगा।

6.2 निधि प्रदाता संबंधित वन समिति में अपना प्रतिनिधि या किसी अशासकीय संस्था को कार्य संपादन में तकनीकी सहयोग हेतु लगा सकेगी।

6.3 वन समिति की कार्यकारिणी द्वारा कार्यों के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन के पश्चात समिति द्वारा कार्य सम्पादन कराकर वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

6.4 कार्य का संपादन त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.5 प्राप्त निधियों से वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण, वन समितियों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करा सकेगी। जिला स्तर पर 10 हेक्टेयर या उससे अधिक क्लब किये गये प्रकरणों में पुर्नस्थापना की राशि वन विभाग के वन विकास अभिकरण के खाते में रखी जायेगी। 10 हेक्टेयर की सीमा प्राप्त होने पर उक्त राशि वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर पुर्नस्थापन हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

6.6 स्थल पर वनों की वैधानिक स्थिति प्रदर्शित करने वाले पटल लगाए जाएंगे। पटल पर कार्य का विवरण, लागत, निधि प्रदाता एवं क्रियान्वयन संस्था का नाम अंकित किया जाएगा।

6.7 निधि प्रदाता द्वारा माइक्रो प्लान (सूक्ष्म योजना) में आपसी सहमति से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर निधि के साथ-साथ सामग्री या तकनीकी सहायता आदि भी प्रदान कर सकता है तथा राशि निर्धारित कार्य आयोजना अनुसार प्रदान की जावेगी।

6.8 सभी पक्षों द्वारा पिछली निधियों के संतोषजनक उपयोग के बाद ही निधि प्रदाता द्वारा निधि की अगली किस्त प्रदान की जाएगी।

7/ अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः-

7.1 पुर्नस्थापना/पौधरोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभाग की निर्धारित मानक रीति से भी किया जाएगा। पौधरोपण को विभागीय "पौधरोपण मूल्यांकन प्रणाली" में पंजीकृत किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में परिणामों को अद्यतन किया जाएगा।

7.2 वनमंडल अधिकारी त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत शामिल वन क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा। वनमंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा गैर वानिकी गतिविधियां संचालित नहीं हों।

7.3 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 वर्ष की अवधि के पश्चात पौधरोपण में पौधों का जीवितता प्रतिशत न्यूनतम 75% हो। जीवितता प्रतिशत 75% से कम होने पर विभाग के प्रचलित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार अग्रिम कार्यवाही होगी तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

8/ अनुबंध का समापन /निरस्तीकरणः-

8.1 एक वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने, 2 वर्ष की अवधि में पुर्नस्थापना/पौधरोपण का कार्य सम्पादित नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर वनमंडल स्तरीय वन विकास अभिकरण के सचिव को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा, किंतु त्रिपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का आदेश सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा।

8.2 इस अनुबंध को निरस्त किए जाने के निर्णय के विरुद्ध वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

8.3 कार्य समापन के उपरांत पुर्नस्थापना कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन जारी किया जाएगा जिसमें पौधरोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

भाग - 2

निजी निवेश के माध्यम से वनों की पुर्नस्थापना

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत राज्य में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित का गठन है। निगम के माध्यम से भी वनों की पुर्नस्थापना हेतु निजी निवेशकों से निधियां प्राप्त कर निगम को अंतरित क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्य किया जा सकता है जिससे स्थानीय समुदायों की भूमिका का सशक्तीकरण हो सके।

1. <u>निजी निवेश से वनों की पुर्नस्थापना</u>

1.1 निजी क्षेत्र के निवेश के जरिये वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु वन विभाग द्वारा ऐसे बिगड़े वनों की पहचान की जायेगी जो वनीकरण हेतु उपयुक्त है। यह ध्यान रखा जाएगा कि जिस गांव से यह क्षेत्र लगा हुआ है वहॉ पर निस्तार आदि के लिये पर्याप्त भूमि छोड़ी जायेगी।

1.2 एक स्थान पर पौधरोपण हेतु न्यूनतम 25 हेक्टेयर तथा भूमियों के क्लस्टर होने की स्थिति में अधिकतम 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल चिन्हित किया जायेगा।

1.3 चिहिंत क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की सूची वन विभाग द्वारा तैयार की जावेगी।

1.4 वन विभाग द्वारा निगम को उक्त क्षेत्रों की सम्पूर्ण जानकारी मय डिजीटल मानचित्र सहित KML फाईल में उपलब्ध करायी जायेगी।

1.5 निगम द्वारा इन भूमियों को वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुए साल में दो बार रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) बुलायी जायेंगी।

1.6 निजी निवेशक रूचि की अभिव्यक्ति में एक से अधिक क्लस्टर के लिए एक साथ प्रस्ताव दे सकेगा।

1.7 जिन क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव प्राप्त होंगे वे क्षेत्र वन विभाग द्वारा वन विकास निगम को अंतरित किये जायेंगे।

1.8 वन विभाग द्वारा प्रस्ताव बुलाने के पहले क्षेत्र की वन समिति की सहमति प्राप्त की जायेगी। इस हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन समिति की आमसभा का आयोजन कराया जायेगा। आमसभा में सदस्यों को पुर्नस्थापना कार्यक्रम/योजना से संबंधित समस्त जानकारियां साझा की जायेगी।

1.9 निगम द्वारा वन क्षेत्र के प्राप्त डिजिटल मानचित्र पर वर्तमान वन क्षेत्र की स्थिति तथा प्रस्तावित कार्यो को अंकित किया जायेगा।

2. <u>निजी निवेशक का चयन</u>

2.1 रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) बुलाने के बाद यदि किसी क्षेत्र के लिये केवल एक ही प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसे उस निवेशक के लिये आरक्षित किया जायेगा।

2.2 यदि किसी क्षेत्र के लिये एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

2.2.1 यदि प्रस्तावकों में केवल एक प्रस्तावक ऐसा हो जिसने 1000 हेक्टेयर से अधिक का प्रस्ताव दिया है तो उसके लिए आरक्षण किया जाएगा।

2.2.2 यदि 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के एक से अधिक प्रस्तावक किसी क्षेत्र के लिये प्रस्ताव देते है तो केवल उन्हीं प्रस्तावकों को वनोपज की हिस्सेदारी पर सीलबंद ऑफर बुलाये जायेंगे।

2.2.3 यदि 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का कोई प्रस्तावक नहीं हो, तो सभी प्रस्तावकों से वनोपज की हिस्सेदारी पर सीलबंद ऑफर बुलाए जाएंगे।

2.2.4 क्र.2.2.2 तथा 2.2.3 में सर्वाधिक ऑफर देने वाले प्रस्तावक यदि वह अन्यथा अपात्र न हो, के लिए ऐसी भूमि आरक्षित की जायेगी।

3. <u>सूक्ष्म प्रबंधन योजना का निर्माण एवं स्वीकृति</u>

3.1 निगम द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वन समिति के सहयोग से ऐसे बिगड़े वन क्षेत्र के उपचार हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार कराई जायेगी। निवेशक चाहे तो वनमंडलाधिकारी के तकनीकी पर्यवेक्षण में स्वयं भी सूक्ष्म प्रबंधन योजना बना सकेगा। वन समिति की आमसभा द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात वनमण्डलाधिकारी सूक्ष्म प्रबंधन योजना की स्वीकृति प्रदान करेगा।

3.2 सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निजी निवेशक के प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे जिनके लिये उक्त वन क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

3.3 ऐसे क्षेत्र जिसकी सूक्ष्म प्रबंधन योजना वनमण्डलाधिकारी द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है उसे भी इस नीति के अंतर्गत पुर्नस्थापना के लिये मान्य किया जा सकेगा।

3.4 प्रजाति, भूमि क्लस्टर के आकार, मृदा एवं जलवायु की स्थिति के आधार पर वर्तमान में पौधरोपण की प्रति हेक्टेयर लागत लगभग रूपये 5 से 8 लाख है, तथापि यह निजी निवेशक के अनुभव, कुशलता और विशेषज्ञता पर निर्भर है।

3.5 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 भारतीय वन अधिनियम 1927,अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

4. चयनित क्षेत्र का प्राक्कलन तैयार करना

4.1 सूक्ष्म प्रबंधन योजना में शामिल वन पुर्नस्थापना हेतु प्रस्ताव किये गये उपचारों (पौधरोपण सहित) के क्रियान्वयन के लिये की जाने वाली गतिविधियों का प्राक्कलन निगम के सहयोग से निवेशक द्वारा तैयार किया जाएगा। यह कार्य निगम स्वयं भी कर सकेगा।

5. कार्य संपादन

5.1 कार्य संपादन निगम द्वारा स्वयं अथवा निगम के तकनीकी मार्गदर्शन में निवेशक द्वारा किया जायेगा। जहॉ कार्य निवेशक द्वारा किया जायेगा, वहॉ निगम 5% तक पर्यवेक्षण शुल्क ले सकेगा। निगम इस बाबत स्पष्ट दरें EOI में लेख करेगा।

5.2 निगम द्वारा कार्य संपादन करने की स्थिति में पौधों की जीवितता तथा पुर्नस्थापना/विकास का उत्तरदायित्व निगम का होगा।

5.3 निवेशक द्वारा कार्य संपादन की स्थिति में पौधों की जीवितता तथा पुर्नस्थापना/ विकास का उत्तरदायित्व निवेशक का होगा।

5.4 निगम द्वारा कार्यो के संबंध में विस्तृत विवरण वन समिति के त्रैमासिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5.5 वन पुर्नस्थापना कार्य का संपादन निगम के साथ हुए अनुबंध के अनुसार किया जायेगा। यथासंभव वन समिति के सदस्यों/स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जायेगी।

5.6 स्थल पर वनों की वैधानिक स्थिति प्रदर्शित करने वाले पटल लगाये जायेंगे। पटल पर कार्य का विवरण, लागत, निधि निवेशक एवं क्रियान्वयन संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

6. पौधों की जीवितता एवं वृद्धि

6.1 पुर्नस्थापना क्षेत्र की समय-समय पर अनुश्रवण/निगरानी निगम एवं निवेशक द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी जिसकी त्रैमासिक रिपोर्ट एक-दूसरे से इलेक्ट्रानिक रूप में साझा की जायेगी।

6.2 रोपित पौधों की तीन वर्षों के पश्चात जीवितता न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी। पौधों की औसत वृद्धि स्थल गुणवत्ता के अनुसार भूमि के उस विशेष टुकड़े के लिये उपज तालिका में उल्लेखित वृद्धि से कम नहीं होनी चाहिए।

6.3 प्रथम वर्ष में जीवितता न्यूनतम 80% तथा द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 90% होगी। उक्त जीवितता के अधीन रहते हुए मृत पौधों के स्थान पर नवीन पौधे प्राक्कलन अनुसार कार्य संपादन करने वाली एजेंसी लगाएगी।

6.4 तीन वर्षों के पश्चात न्यूनतम जीवितता से कम जीवितता होने पर कार्य संपादन करने वाली एजेंसी अपने व्यय पर gap plantation कराएगी जिससे 75% जीवितता बनी रहे।

6.5 तीन वर्षों के पश्चात पुर्नस्थापना क्षेत्र के सुरक्षा का कार्य निजी निवेशक अथवा निजी निवेशक के व्यय पर निगम द्वारा किया जावेगा।

6.6 यदि किसी क्षेत्र में तीन वर्ष बाद जीवितता 40% से कम रहती है और कार्य निगम द्वारा कराया गया है तो निगम वृक्षारोपण का पूरा व्यय निजी निवेशक को उपलब्ध कराएगा। ऐसी स्थिति में निवेशक के हिस्से की वनोपज एवं कार्बन क्रेडिट/ग्रीन क्रेडिट भी निगम को ही जाएगी तथा निवेशक वनोपज/कार्बन क्रेडिट/ग्रीन क्रेडिट पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

7. अनुषांगिक वानिकी क्रियाकलाप

7.1 पौधों को रोपण के पूर्व स्थल पर रखने, एवं वनोपज की पातन संक्रियाओं हेतु आवंटित क्षेत्र का एक प्रतिशत तक या अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जायेगा।

7.2 वनोपज के परिवहन हेतु उपलब्ध वन मार्गों/पहुंच मार्गों की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध होगी। पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम की होगी।

8. अनुबंध

8.1 वनों की पुर्नस्थापना हेतु निधि निवेशक, निगम एवं वन समिति के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जायेगा जिसमें तीनों पक्षों की भूमिका एवं कार्यो का स्पष्ट विवरण दिया जायेगा। अनुबंध के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार होंगे:-

8.2 त्रिपक्षीय अनुबंध की अवधि 60 वर्ष होगी।

8.3 निधि निवेशक को वन क्षेत्र में भूमि सम्बंधी किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

8.4 निधि निवेशक को पौधरोपण हेतु प्रजाति एवं उसकी किस्म के चयन का अधिकार होगा। विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित होगा।

8.5 वन समितियों को निरंतर आय प्राप्त हो इसके लिए मुख्य पौधरोपण उपरांत अनुमत औषधीय, सुगंधित एवं अन्य प्रजातियों के पौधे अन्तरवर्ती (Intercropping) रूप से सूक्ष्म प्रबंधन योजना अनुसार लगाये जा सकेंगे।

8.6 नीति की कंण्डिका 1.3 में चिन्हित वृक्षों के विदोहन से प्राप्त काष्ठ पर राज्य शासन का अधिकार होगा, जिस पर निगम या निवेशक का कोई अधिकार नहीं होगा।

8.7 वनोपज जिसमें अन्तरवर्ती प्राप्तियां भी शामिल है, का 20 प्रतिशत भाग वन समिति को स्थानांतरित किया जायेगा। शेष 80 प्रतिशत का विभाजन निगम तथा निधि निवेशक के मध्य होगा। यह हिस्सेदारी अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगी परंतु किसी भी स्थिति में निगम को प्राप्त होने वाली हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, वनोपज में हिस्सेदारी वन समिति की 20 प्रतिशत तथा निगम की न्यूनतम 30 प्रतिशत

होगी। नीति की कंण्डिका 2.1 में चयनित निवेशक को वनोपज का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा।

8.8 वनोपज का विदोहन निगम द्वारा किया जावेगा तथा विदोहन पर होने वाला व्यय समस्त पक्षों द्वारा अपनी-अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में वहन किया जावेगा।

8.9 निगम को हिस्सेदारी में प्राप्त होने वाले वनोपज का निर्वर्तन निगम द्वारा खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा जिसमें सर्वाधिक प्राप्त होने वाले दर पर क्रय का प्रथम अधिकार निवेशक का होगा। तथापि यदि निजी संस्था इस अधिकार का प्रयोग करती है तो उसे उस वनखण्ड के लिये निगम की पूरी हिस्सेदारी का क्रय करना होगा, आंशिक क्रय मान्य नहीं होगा।

8.10 वन समिति के प्रस्ताव पर निगम वन समिति की हिस्सेदारी का भी निवर्तन कंडिका 8.7 अनुसार कर सकेगा।

8.11 निवेशक को भारत सरकार की नीति अनुसार कार्बन क्रेडिट/ग्रीन क्रेडिट का अधिकार होगा।

8.12 भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इस योजना में भाग लेते है तो भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी।

8.13 कार्बन क्रेडिट/ग्रीन क्रेडिट का सत्यापन, अंकेक्षण (आडिटिंग), प्रमाणक आदि का प्रबंध का व्यय निवेशक द्वारा किया जावेगा।

8.14 निवेशक द्वारा मध्यप्रदेश में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 का अनुपालन किया जावेगा। इससे संबंधित सभी व्यय निवेशक द्वारा वहन किये जायेंगे।

8.15 निवेशक को कार्बन क्रेडिट/ग्रीन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार अनुबंध अवधि के लिये होगा, उसमें वन समिति की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी। निगम कार्बन क्रेडिट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

8.16 यदि कोई बीमा कंपनी उगाई गई पौधरोपण/अन्तरवर्ती वनोपज के लिए बीमा उपलब्ध कराती है तो निवेशक स्वयं प्रीमियम भुगतान कर बीमा करा सकेगी।

8.17 वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन अधिकार पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े।